

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 489/2010/बीकानेर  
अपील संख्या - 490/2010/बीकानेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, बीकानेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स श्री अन्नपूर्णा इण्डस्ट्रीज,  
इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,  
उप राजकीय, अभिभाषक

..अपीलार्थी की ओर से

श्री ओ.पी.दौसाया,  
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 13.03.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी-राजस्व द्वारा यह दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा क्रमशः अपील संख्या 79 एवं 80/आरवेट/बीकानेर 08-09 में पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 25.08.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2006-07 की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के लिए पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 13.03.2008 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 58 एवं 61 के तहत क्रमशः रिवर्स टैक्स एवं उस पर आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है।
2. इन दोनों प्रकरणों अपील के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान अलग-अलग व्यवहारियों से गेहूँ की खरीद की गई, एवं उन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम प्रस्तुत किया गया, परन्तु इनका सत्यापन नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी ने जांच की तो पता चला कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अलग-अलग व्यवहारियों के पक्ष में फर्जी/बोगस वैट इनवॉइस जारी किये है। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी की दोषी मनोभावना से वशीभूत होकर क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकार कर दिया एवं जानबूझकर किये गये इस कृत्य के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 61(2) के तहत शास्ति का आरोपण कर दिया, जो कि निम्न तालिकानुसार प्रदर्शित किया गया है।

↓

लगातार.....2

अपील संख्या		489 / 2010 / बीकानेर			490 / 2010 / बीकानेर		
क्र.सं.	गेहूँ बेचान फर्म का नाम	गेहूँ खरीद	I.T.C.	शास्ति	गेहूँ खरीद	I.T.C.	शास्ति
1.	राकेश ट्रेडिंग कम्पनी	6,65,524	26,621	1,06,484	28,31,677	1,13,268	4,53,072
2.	अग्रवाल चिडवा इण्ड.	13,95,684	55,824	2,23,296	-	-	-
3.	राजेश कुमार एण्ड कम्पनी	1,35,012	5,400	21,600	3,64,782	14,591	58,364
4.	मांगीराम हनुमानप्रसाद	60,619	2,425	9,700	-	-	-

तत्पश्चात् प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वैट-10 के अनुसार क्रमशः राशि रूपये 4,11,458/- एवं 2,83,017/- की बिक्री गेहूँ से निर्मित चापड की बतलाई गई। कर निर्धारण अधिकारी ने चापड पर आई.टी.सी. देय नहीं मानते हुए इसे अनुपातिक रूप से रिवर्स करके इसे जानबूझकर किया गया करापवंचन मानकर इस पर नियमानुसार शास्ति का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने पृथक-पृथक आदेश दिनांक 25.08.2009 द्वारा प्रत्यर्थी फर्म की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, अपील संख्या 489/2010 में आरोपित रिवर्स टैक्स राशि रूपये 9,305/-, शास्ति राशि रूपये 18,610/- कुल मांग राशि रूपये 27,915/- तथा अपील संख्या 490/2010 में आरोपित रिवर्स टैक्स राशि रूपये 6,539/-, शास्ति राशि रूपये 13,078/- कुल मांग राशि रूपये 19,617/- को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी-राजस्व द्वारा यह दोनों अपीलें कर बोर्ड के समक्ष पेश की गई हैं।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने 4 प्रतिशत की दर से वैट चुकाकर कच्चे माल गेहूँ की खरीद की है तथा इस प्रकार से की गयी खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है, तो कर मुक्त बिक्री चापड पर लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार्य होगा। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स कर व शास्ति अपास्तनीय है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा गेहूँ की खरीद कर मूल रूप से कच्चे माल के रूप में आटा, सूजी एवं मैदा का निर्माण किया जाता है, इस पर सह उत्पाद के रूप में चापड का निर्माण भी हो जाता है, इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अलग से चापड का निर्माण नहीं किया जाता है, तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाया गया रिवर्स टैक्स एवं आरोपित ब्याज अपास्तनीय है। आगे उन्होंने अपीलीय अधिकारी के निर्णय का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का

लगातार.....3

अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी फर्म द्वारा आलौच्य अवधि में 4 प्रतिशत की दर से वैट चुकाकर कच्चे माल गेहूँ की खरीद की है तथा इससे कच्चे माल आटा, मैदा एवं सूजी का निर्माण किया है, इनके निर्माण के साथ सहउत्पाद के रूप में "चापड" का निर्माण भी हो जाता है। चूंकि "चापड" कर मुक्त है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा "चापड" के निर्माण में गेहूँ का प्रयुक्त होना मानकर जो रिवर्स टैक्स एवं ब्याज आरोपित किया उसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है।

8. उपराजकीय अभिभाषक ने बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अभिनिर्णय में वेट अधिनियम की धारा 18(1)(g) के विशिष्ट प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूँ से निर्मित कर मुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है।

अधिनियम की धारा 18(1)(g) निम्न प्रकार से है—

**18. Input Tax Credit :-** (1.) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of-

[(g) being used in the State as capital goods in manufacture of goods other than exempted goods,]

however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि वर्ष 2006-07 (प्रथम एवं द्वितीय तिमाही) के दौरान राज्य के व्यवहारियों से की गई गेहूँ की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल "चापड" की बिक्री पर आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए इसका रिवर्स टैक्स आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। व्यवसायी के प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने विक्रेता फर्मों की पूर्ण जांच एवं सत्यापन के बाद ITC अस्वीकार की है क्योंकि या तो वे अस्तित्व में नहीं पाई गई या एक ही क्रमांक के बिल दो फर्मों को जारी किए गए। इसके अलावा व्यवसायी द्वारा क्लेम की गई ITC मिथ्या एवं बोगस पाई गई। धारा 18(2) की शर्त की पालना नहीं की गई जिसके अनुसार बिल में दर्शायी गई वैट राशि राजकोष में जमा होना आवश्यक है, उक्त राशि राजकोष में जमा होना नहीं पाया गया। अपीलीय अधिकारी ने इस संबंध में विस्तृत आदेश पारित किया है परन्तु अपीलीय अधिकारी ने हस्तगत प्रकरण में

॥

माननीय राजस्थान कर बोर्ड, द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लि० श्रीगंगानगर (2009) 23 TUD 360 के प्रकरण का हवाला देते हुए कर मुक्त माल चापड़ पर भी ITC स्वीकार की है किन्तु इसके बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन श्रीगंगानगर बनाम दुर्गेश्वरी फूड लि० श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टांत (2012) 32 TUD 03 के निर्णय के बाद इस बिन्दु पर राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय, 2009 को अपास्त कर दिया गया है। अतः विधिक स्थिति यह रहती है कि ITC का लाभ धारा 18(1)(g) के प्रावधानों के अनुसार ही देय होगा। कर मुक्त माल के विनिर्माण होने पर अनुपातिक रूप से ITC रिवर्स की जावेगी।

9. जहां तक शास्ति का प्रश्न है व्यवसायी ने सभी खरीद बिक्री के संब्यवहार नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज किए हैं। अतः अपील संख्या 489/2010 तथा अपील संख्या 490/2010 के अन्तर्गत शास्ति राशि क्रमशः रुपये 18,610/- तथा रुपये 13,078/- को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त की है। वह सही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाम तमिलनाडु सरकार व वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड (20) 2012, 32 TUD के आलोक में शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः शास्ति के बिन्दु पर अपील स्वीकार की जाती है। ITC रिवर्स करने के कारण आरोपित कर व ब्याज पर राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है।

10. उपरोक्तानुसार अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)  
सदस्य